राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना–14

निविदा सूचना

(विभिन्न प्रकार के सामग्रियों का मुद्रण एवं आपूर्ति हेतु)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संचालित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार की सामग्री/प्रशिक्षण सामग्री/मार्गदर्शिका अथवा मॉड्यूल/सूचनापट्ट इत्यादि का विभिन्न प्रकार के सामग्रियों यथा कागज, टिन प्लेट, फ्लेक्स/क्लॉथ बैनर, सनबोर्ड/एक्रीलिक बोर्ड, विनाईल इत्यादि पर मुद्रण एवं मुद्रणोपरांत बिहार राज्य के जिला मुख्यालयों यथा सिविल सर्जन कार्यालय/जिला स्वास्थ्य समिति अथवा अन्य कार्यालय तथा आवश्यकतानुसार राज्य मुख्यालय स्तर पर आपूर्ति हेतु विभिन्न प्रसिद्ध एवं पंजीकृत मुद्रण एजेंसियों/फर्मो से निम्नांकित सामग्रियों के मुद्रण हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार मुहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित करती है।

उक्त निविदा में उल्लेखित सामग्रियों की आवश्यकतानुसार निविदा को चार वर्गों यथा 'कोटि ए', 'कोटि बी, 'कोटि सी एवं 'कोटि डी' में विभक्त कर भिन्न–भिन्न शर्तो के तहत् निविदा आमंत्रित की जा रही है। इन वर्गो में उल्लेखित सामग्री की विशिष्टता एवं अन्य विवरणी तथा इस निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी यथा पात्रता, मानदण्ड, नियम एवं शर्ते इत्यादि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के वेबसाईट **www.statehealthsocietybihar.org** पर उपलब्ध है।

एक बड़े लिफाफे के अंदर दो अलग–अलग लिफाफे डालकर बड़े लिफाफे के उपर **"विभिन्न प्रकार के सामग्रियों का मुद्रण एवं आपूर्ति हेतु निविदा"** अवश्य अंकित होनी चाहिए।

1) तकनीकी निविदा हेतु **'कवर ए – "विभिन्न प्रकार के सामग्रियों का मुद्रण एवं आपूर्ति हेतु निविदा का तकनीकी बिड"– कोटि ए/बी/सी/डी** (जैसा उपयुक्त हो)

एवं

2) वित्तीय निविदा हेतु – **'कवर बी – "विभिन्न प्रकार के सामग्रियों का मुद्रण एवं आपूर्ति हेतु निविदा का वित्तीय बिड"– कोटि ए/बी/सी/डी** (जैसा उपयुक्त हो) लिफाफे के उपर अवश्य अंकित होना चाहिए।

निविदा के विभिन्न कोटि/वर्गो हेतु निर्धारित अग्रधन राशि (EMD) जो **राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के नाम से देय, पटना में भुगतेय** (State Health Society, Bihar and payable at Patna) एवं किसी मान्यता प्राप्त बैंक से निर्गत, इस निविदा के तकनीकी बिड के साथ अवश्य संलग्न किया जाना है जिसकी विवरणी निविदा में उल्लेखित है। जिस निविदा के साथ अग्रधन राशि संलग्न नही होगी उस पर विचार नही किया जाएगा।

निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि : निविदा मात्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 17 जून, 2013 अपराह्न 3 बजे तक या इससे पूर्व राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना–14 को प्राप्त हो जानी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से एवं अन्य माध्यम से जमा किये गये निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

प्री–बिड की बैठक दिनांक 30 मई, 2013 को पूर्वाह्न 11 बजे राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के सभागार कक्ष में।

तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 17 जून, 2013 अपराह्न 4 बजे।

सचिव स्वास्थ्य
सह
कार्यपालक निदेशक

निविदा सूचना

(विभिन्न प्रकार के सामग्रियों का मुद्रण एवं आपूर्ति हेतु)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संचालित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार की सामग्री/प्रशिक्षण सामग्री/मार्गदर्शिका अथवा मॉड्यूल/सूचनापट्ट इत्यादि का विभिन्न प्रकार के सामग्रियों यथा कागज, टिन प्लेट, फ्लेक्स/क्लॉथ बैनर, सनबोर्ड/एक्रीलिक बोर्ड, विनाईल इत्यादि पर मुद्रण एवं मुद्रणोपरांत बिहार राज्य के जिला मुख्यालयों यथा सिविल सर्जन कार्यालय/जिला स्वास्थ्य समिति अथवा अन्य कार्यालय तथा आवश्यकतानुसार राज्य मुख्यालय स्तर पर आपूर्ति हेतु विभिन्न प्रसिद्ध एवं पंजीकृत मुद्रण एजेंसियो/फर्मो से मुहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है।
उक्त निविदा में उल्लेखित सामग्रियों की आवश्यकतानुसार निविदा को चार वर्गो यथा 'कोटि ए', 'कोटि बी', 'कोटि सी' एवं 'कोटि डी' में विभक्त कर भिन्न–भिन्न शर्तो के तहत् निविदा आमंत्रित की जा रही है। इन वर्गो में उल्लेखित कोटिवार सामग्री की विशिष्टता एवं अन्य विवरणी तथा इस निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी यथा पात्रता, मानदण्ड, नियम एवं शर्ते इत्यादि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के वेबसाईट **www.statehealthsocietybihar.org** पर उपलब्ध है।

एक बड़े लिफाफे के अंदर दो अलग–अलग लिफाफे डालकर बड़े लिफाफे के उपर **"विभिन्न प्रकार के सामग्रियों का मुद्रण एवं आपूर्ति हेतु निविदा"** अवश्य अंकित होनी चाहिए।

1) तकनीकी निविदा हेतु **'कवर ए – "विभिन्न प्रकार के सामग्रियों का मुद्रण एवं आपूर्ति हेतु निविदा का तकनीकी बिड"– कोटि ए/बी/सी/डी** (जैसा उपयुक्त हो)

एवं

2) वित्तीय निविदा हेतु – **'कवर बी – "विभिन्न प्रकार के सामग्रियों का मुद्रण एवं आपूर्ति हेतु निविदा का वित्तीय बिड"– कोटि ए/बी/सी/डी** (जैसा उपयुक्त हो) लिफाफे के उपर अवश्य अंकित होना चाहिए। कवर 'बी' वाले लिफाफे में सामग्रीवार मात्र Annexure 3 में वित्तिय निविदा दर उद्धृत कर बन्द किया जाना है।

कोटिवार सामग्री की विशिष्टता विवरणी : Annexure 1 के रूप में संलग्न है।

तकनीकी निविदा हेतु वांछित कागजात (Documents): कोटि 'ए', 'बी', 'सी' एवं 'डी' में उल्लेखित सामग्रियों हेतु सम्मिलित रूप से तकनीकी निविदा हेतु निर्धारित योग्यता/मानदण्ड के अनुरूप निम्नांकित कागज़ात/दस्तावेज़ अवश्य समर्पित किए जाने हैं :–

1. निविदा के आलोक में तकनीकी बिड हेतु कोटिवार पात्रता मानदण्ड : कोटि 'ए', 'बी', 'सी' एवं 'डी' हेतु जमा किए जाने वाले सभी दस्तावेजों को मुद्रण एजेन्सी के किसी प्राधिकृत व्यक्ति/एजेन्सी के सभी साझेदारों (जहाँ उपयुक्त हो) द्वारा अभिप्रमाणित (एजेन्सी की मुहर के साथ) किया जाना है। इसी नामित व्यक्ति द्वारा निविदा में सभी निम्नांकित महत्वपूर्ण वांछित दस्तावेज़ों को हस्ताक्षरित किया जायेगा एवं निविदा खोलते समय उपस्थित रह पायेंगे।
2. इच्छुक एजेन्सी एक से अधिक कोटि हेतु निविदा डाल सकती है।
3. तकनीकी निविदा के साथ Annexure 2 के रूप में संलग्न प्रपत्र में सामग्रीवार अपने यूनिट की उत्पादन क्षमता उल्लेखित की जानी अनिवार्य है।
4. वित्तीय निविदा में मात्र Annexure 3 के रूप में संलग्न प्रपत्र में सामग्रीवार मुद्रण एवं जिलावार आपूर्ति का एकमुश्त दर उद्धृत किया जाना है।
5. इच्छुक निविदादाताओं का मुद्रण कार्य में गत तीन क्रमगत वित्तीय वर्षो यथा 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 का न्यूनतम औसतन टर्नओवार निम्नांकित होना चाहिए:

    कोटि 'ए' में निविदा डालने हेतु: ₹ 10 (दस) करोड़ रूपये।

    कोटि 'बी' में निविदा डालने हेतु : ₹ 6 (छः) करोड़ रूपये।

    कोटि 'सी' में निविदा डालने हेतु : ₹ 3 (तीन) करोड़. रूपये।

    कोटि 'डी' में निविदा डालने हेतु : ₹ 75 (पचहत्तर) लाख रूपये।

6. इच्छुक एजेन्सी द्वारा कर निर्धारण वर्षों यथा 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 में एजेंसी/प्रोपराईटर के नाम से दाखिल आयकर रिटर्न समर्पित किया जाना है।
7. गत तीन वित्तीय वर्षों यथा 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 का पूर्ण अंकेक्षण प्रतिवेदन एजेंसी/प्रोपराईटर के द्वारा समर्पित किया जाना है। Chartered Accountant का प्रमाण–पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
8. एजेंसी के नाम से निर्गत पैन कार्ड की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति भी निविदा के साथ समर्पित किया जाना है। परंतु प्रतिष्ठान, Proprietorship के अंर्तगत होने की स्थिति में स्वामी के नाम से निर्गत PAN CARD मान्य होगा।
9. न्यूनतम उद्धृत दर के आधार पर चयनित एजेन्सी द्वारा performance guarantee स्वरूप एक वर्ष के लिए मुद्रित कराए जाने वाली सामग्री के सम्भावित मूल्य का 5 से 7 प्रतिशत अथवा सचिव, स्वास्थ्य सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को जो मान्य हो, की राशि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पक्ष बैंक गारंटी के रूप में एजेन्सी को जमा करना होगा।
10. एजेन्सी को किसी सरकारी/अर्द्ध–सरकारी विभाग अथवा लोक उपक्रम/निकाय/समिति के साथ मुद्रण (जिस प्रकार की सामग्री का मुद्रण राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा इस निविदा में प्रस्तावित है) एवं जिलावार आपूर्ति का संबंधित क्षेत्र में तीन वर्षों का कार्यानुभव होना चाहिए जिसके समर्थन में कार्यादेश की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ एवं मुद्रित सामग्रियों की प्रतियाँ भी निविदा के साथ संलग्न कर समर्पित की जानी है।
11. मुद्रण प्रेस को बिहार राज्य के सेल्स टैक्स विभाग से वैट/सी.एस.टी में पंजीकृत होने संबंधी निबंधन प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा जो कि वित्तीय वर्ष 2007–08 अथवा इसके पूर्व का होना चाहिए। यदि किसी कारणवश निविदादाता बिहार राज्य के सेल्स टैक्स विभाग से पंजीकृत नहीं है एवं निविदा में सफल घोषित होती है तो ऐसी अवस्था में निविदा में सफल घोषित होने के 15 दिनों के अंदर बिहार प्रांत के वाणिज्य–कर विभाग से विहित प्रपत्र में निबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त कर राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार में समर्पित करना अनिवार्य होगा।
12. निविदा डालने वाली मुद्रण एजेन्सी को किसी भी सरकारी, अर्द्ध–सरकारी विभाग अथवा लोक उपक्रम द्वारा काली सूचीबद्ध नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में नन् जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का निर्गत शपथ पत्र की मूल प्रति इस निविदा के साथ जमा किया जाना अनिवार्य है।
13. विभिन्न प्रकार के सामग्रियों (जिनके मुद्रण हेतु निविदा आमंत्रित है) के मुद्रण हेतु वांछित मशीन संस्थापित होने का प्रमाण–पत्र की छायाप्रति मुद्रण एजेंसी को निविदा के साथ समर्पित करना है, जिस हेतु निविदा डाली जा रही हो। एजेंसी के नाम से चतुर्थ रंगीय/बहुरंगीय शीट फेड मुद्रण हेतु ऑफसेट मशीन, वेब ऑफसेट मशीन (मुद्रित की जाने वाली सामग्री के आवश्यकतानुसार) के क्रय के विपत्र की छायाप्रति भी एजेंसी को समर्पित करना होगा। साथ ही प्रिंटिंग प्रेस में उल्लेखित सामग्रियों के मुद्रण हेतु निम्नांकित न्यूनतम प्री–प्रेस, पोस्ट प्रेस एवं अन्य मुद्रण की सुविधाएं, संस्थापित मशीन के विपत्र एवं मशीनों की स्व–अभिप्रमाणित सूची भी संलग्न करना होगा। आवश्यकता पड़ने पर राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा शॉर्टलिस्टेड एजेंसियों के मुद्रण प्रेस का सत्यापन भी किया जा सकता है।
14. निविदा डालने को इच्छुक एजेन्सी के प्रिंटिंग प्रेस में प्री–प्रेस, पोस्ट प्रेस की अन्य आधुनिक सुविधाओं के साथ निम्नांकित न्यूनतम आहर्ताएं होनी चाहियें:

    (i) प्री–प्रेस–

    i. कम्पयूटर सेट एवं ग्राफिक डिज़ाईनर
    ii. सी.टी.पी. मशीन/इमेज सेंटर
    iii. Professional प्रूफ रीडर

    (ii) पोस्ट प्रेस–

    i. Automatic फोल्डिन्ग मशीन
    ii. Computerized कटिंग मशीन

iii. परफेक्ट बाईन्डिग मशीन

iv. कार्टून/पैकेट हेतु पैकेजिन्ग, लेबेलिन्ग तथा स्ट्रैपिन्ग सुविधायें

v. परिसर में 1000 वर्ग फीट बाईन्डिग एरिया

15. निविदा में मुद्रण हेतु उल्लेखित सभी सामग्रियों यथा फ्लेक्स बैनर, क्लॉथ बैनर, फ्लेक्स कैलेण्डर इत्यादि अथवा जिस सामग्री हेतु एजेंसी द्वारा निविदा डाली जा रही हो, का नमूना (बिना मुद्रित) तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना अनिवार्य है जिस पर उसकी विशिष्टता (एजेंसी के प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं मुहर सहित) Permanent Marker Pen से उल्लेखित होना चाहिए।

16. एजेंसी को विगत तीन वर्षो से आई.एस.सो. प्रमाणीकृत होना चाहिये। तीनों वर्षो के आई.एस.सो. प्रमाणीकरण के प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छाया–प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। तकनीकी बिड खोलने के समय मूल प्रमाण–पत्र लाना अनिवार्य होगा। निविदा खोलने के दिन, आवश्यकता पड़ने पर इसकी जाँच भी की जा सकती है।

17. निविदा डालने वाली एजेंसी के नाम से तीन फेज बिजली आपूर्ति का कनेक्शन होना चाहिए। इस हेतु वर्तमान में बिजली विपत्र का सत्यापित छायाप्रति तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

18. अग्रशन राशिः विभिन्न कोटियों हेतु निविदा डालने हेतु निम्नांकित राशि का डिमांड ड्राफ्ट अग्रधन राशि स्वरूप संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

कोटि 'ए' – ₹ 400000/– (चार लाख रुपए) का डिमाण्ड ड्राफ्ट

कोटि 'बी' – ₹ 200000/– (दो लाख रुपए) का डिमाण्ड ड्राफ्ट

कोटि 'सी' – ₹ 100000/– (एक लाख रुपए) का डिमाण्ड ड्राफ्ट

कोटि 'डी' – ₹ 60000/– (साठ हजार रुपए) का डिमाण्ड ड्राफ्ट

जिस निविदा के साथ अग्रधन राशि संलग्न नहीं होगी उस पर विचार नहीं किया जाएगा। अग्रधन राशि, निविदा की प्रक्रिया पूर्ण होने पर संबंधित एजेन्सी को लौटा दिया जाएगा।

<u>अन्य नियम एवं शर्तें :–</u>

i. विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का महत्व एवं उपयोगिता को देखते हुए, एकरारनामा में उल्लेखित आपूर्ति तिथि से भी अल्प समय में मुद्रण कर राज्य/जिला स्तर पर मुद्रित सामग्री की आपूर्ति एजेंसी को करनी पड़ सकती है। इस हेतु निविदा डालने हेतु इच्छुक मुद्रण एजेन्सी के प्रिन्टिंग प्रेस अथवा उसकी शाखा बिहार में अवस्थित होनी चाहिये जिसमें राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा निर्धारित एवं संबंधित 'कोटि' (जिसके लिये निविदा डाली गई हो) में वर्णित सामग्रियों के मुद्रणयोग्य मशीन स्थापित एवं कियाशील होनी चाहिये।

ii. Joint Venture में डाली गई निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

iii. यह निविदा एक वर्ष तक के लिए वैद्य होगी। कार्य संतोषजनक होने पर निविदा एवं अनुबंध की अवधि एक वर्ष तक के लिए अथवा कार्य हित में कार्यपालक निदेशक को जो मान्य हो उस अवधि के लिये विस्तारित की जा सकती है।

iv. मात्र तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं के वित्तीय निविदा पर ही विचार किया जाएगा। वित्तीय निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही समर्पित की जानी है। अन्य प्रपत्र में समर्पित वित्तीय निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

v. इस निविदा के आलोक में सभी करों के अतिरिक्त पैकिंग शुल्क तथा जिलों तक सुरक्षित तौर पर आपूर्ति करने पर आने वाले परिवहन शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र में ही एजेंसी द्वारा दर उद्धृत किया जाना है।

vi. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदा में जिन एजेन्सियों का जिन सामग्रियों के मुद्रण हेतु दर न्यूनतम पाया जायेगा उन्हें उस सामग्री के मुद्रण एवं जिलावार आपूर्ति हेतु चयनित किया जायेगा।

vii. यदि किसी सामग्री का उद्धरित दर दो या अधिक एजेन्सी का बराबर पाया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में न्यूनतम दर वाली एजेन्सियों के मध्य उस particular सामग्री की मुद्रण एवं आपूर्ति हेतु जिलों को बाँट दिया जायेगा तथा उस particular सामग्री का मुद्रण कर आवंटित जिलों में आपूर्ति संबंधित एजेन्सी द्वारा की जानी होगी।

viii. चयनित एजेंसी को राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के साथ एक अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित करना होगा जिसमें दायित्वों के सफलतापूर्वक निर्वहन करने पर विफल होने अथवा समय पर आपूर्ति सुनिश्चित नहीं करने पर विलंब शुल्क की कटौती करने, बैंक गारंटी को अधिग्रहित करने (forfeit), अनुबंध को रद्द करने, सामग्री का गुणवत्ता जाँच कराने हेतु संबंधित एजेंसी द्वारा भुगतान करने, गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर निम्न गुणवत्ता शुल्क की कटौती करने जैसे तथा अन्य नियमसंगत अनुबंधों का उल्लेख रहेगा। वर्तमान में सूचीबद्ध एजेन्सियों के साथ हस्ताक्षरित एकरारनामे की प्रति निविदा के साथ संलग्न है जिसमें निविदा हस्ताक्षरित कराते वक्त वर्तमान निविदा के आलोक में आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी किया जाना है।

ix. एकरारनामा में निहित शर्त्तोनुसार कार्यालय में विपत्र समर्पित करने के उपरांत संचिका उपलब्ध रहने पर एक माह के अंदर 80 प्रतिशत विपत्र राशि का भुगतान किया जा सकेगा तथा शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान मुद्रित सामग्री के गुणवत्ता के जॉचोंपरांत किया जायेगा।

x. चारों कोटि में वर्णित किसी भी सामग्री के एक लाख रूपये तक के लिए निर्गत कार्यादेश के आलोक में मुद्रित सामग्री के गुणवत्ता की जाँच हेतु कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा गठित समिति के सदस्यों के संयुक्त प्रतिवेदन मान्य होंगे तथा एक लाख से अधिक मूल्य के कार्यादेश के आलोक में मुद्रित सामग्री के गुणवत्ता की जाँच CPPRI/TUV-SUD South Asia अथवा अन्य गुणवत्ता जाँच एजेन्सी से कराया जायेगा।

xi. सामग्री की गुणवत्ता जाँच शुल्क का भुगतान संबंधित मुद्रण एजेन्सी द्वारा गुणवत्ता जाँच एजेन्सी को किया जायेगा।

xii. जिला एवं राज्य स्तर पर सामग्री की प्राप्ति भंडारपाल अथवा भंडार के प्रभारी/नामित नोडल पदाधिकारी/किसी सक्षम पदाधिकारी अथवा कर्मी द्वारा की जानी है। (प्राप्ति रसीद का प्रारूप संलग्न है)।

xiii. आपूरित सामग्री की गुणवत्ता असंतोषप्रद होने या आपूर्ति में विलम्ब होने पर संलग्न एकरारनामा प्रारूप में उल्लेखित दर के अनुसार कटौती भी की जायेगी।

xiv. यदि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के संज्ञान में एजेन्सी द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा निर्गत कार्यादेश के कार्य संपादन में कोई संगीन चूक हो जाती है जिससे कि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो ऐसी परिस्थिति में एजेन्सी का अनुबंध भी समाप्त कर जमानत स्वरूप जमा राशि नियमाकुल जब्त करने के साथ–साथ संबंधित एजेन्सी को काली सूची में दर्ज करने की कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही इस परिस्थिति में L1 दरों पर L2 अथवा L3 एजेंसी से कार्य कराने हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार स्वतंत्र होगी।

xv. कार्यहित को ध्यान में रख मुद्रण कार्य की अधिकता, अल्प समय में कार्य सम्पादन कराने की परिस्थिति में L1 दर पर L2 अथवा L3 से कार्य कराने हेतु भी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार स्वतंत्र होगी।

xvi. कार्यपालक निदेशक को किसी भी समय उक्त निविदा को बिना कारण बताए स्थगित अथवा रद्द करने का पूर्ण अधिकार है। इस संदर्भ में लिए गए निर्णय पर पुर्नविचार नहीं किया जाएगा।

xvii. इस निविदा के संदर्भ में किसी भी एजेन्सी द्वारा किए गए किसी प्रकार के पत्राचार पर भी विचार नहीं किया जाएगा।

xviii. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के दिशा–निर्देश के अनुसार आवश्यकतानुसार मुद्रित होने वाले सामग्रियों के डिजाईनिंग एवं कम्पोजिंग को अपने व्यय पर करने की एजेंसी की जवाबदेही होगी।

प्री–बिड बैठकः दिनांक 30 मई, 2013 को पूर्वाह्न 11 बजे राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के सभागार कक्ष में।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि : इच्छुक फर्म/मुद्रण एजेंसी द्वारा मुहरबंद लिफाफे में सिर्फ निबंधित पोस्ट/स्पीड पोस्ट के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना–14 के कार्यालय में निविदा में वर्णित वांछित

दस्तावेज़ों/कागजातों इत्यादि सहित दिनांक 17 जून, 2013 को अपराह्न 3 बजे तक निविदा अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से जमा किये गये निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

तकनीकी निविदा खोलने हेतु निर्धारित तिथि : दिनांक 17 जून, 2013 को अपराह्न 4 बजे राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के समागार कक्ष में गठित समिति के समक्ष तकनीकी निविदा खोली जाएगी। इच्छुक निविदादाता या उनके द्वारा विधिवत् एजेन्सी द्वारा पत्र के साथ प्राधिकृत प्रतिनिधि (मात्र एक व्यक्ति प्रति निविदादाता) तकनीकि निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं।

सचिव, स्वास्थ्य
सह
कार्यपालक निदेशक